

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17/विविध 1-185/2023

पटना, दिनांक- / / 2025

डा० गोपाल शरण सिंह, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर की नियुक्ति/पदस्थापन बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-665(17) दिनांक-29.08.2022 द्वारा सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), सर्जरी विभाग के पद पर की गयी है। उक्त के आलोक में डा० गोपाल शरण सिंह द्वारा दिनांक-31.08.2022 को अपना योगदान समर्पित किया गया है।

2. इसके पूर्व डा० गोपाल शरण सिंह, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन दिनांक-30.05.2016 से 30.08.2022 तक की अवधि में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। यह सेवा भी नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित थी।

3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के सकल्प संख्या-665 दिनांक-15.07.2019 में निहित प्रावधानों के आलोक में डा० गोपाल शरण सिंह के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर दिनांक-30.05.2016 से 30.08.2022 तक की गई सेवा अवधि की गणना नई अंशदायी पेंशन योजना प्रयोजनार्थ परिगणित करने तथा उसे वर्तमान सेवा (सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), सर्जरी विभाग) के साथ परिगणित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध 1-185/2023-1390(17)पटना, दिनांक :-30/12/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० गोपाल शरण सिंह, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

रेणु कुमारी
विशेष कार्य पदाधिकारी।